न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 83/2016 (2016/00194) वाद पत्र

अनवान

1–कालु पिता रामलाल कुम्हार निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–प्यारचन्द पिता रामलाल कुम्हार ना.बा.व.वि. माता चन्दादेवी निवासी मोखमपुरा
3–श्रवण पिता रामलाल कुम्हार ना.बा.व.वि. माता चन्दादेवी निवासी मोखमपुरा
4–पानी पुत्री रामलाल कुम्हार निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–सुशीला पुत्री रामलाल कुम्हार निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6–संतोकी पुत्री रामलाल कुम्हार निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7–चन्दादेवी पत्नी रामलाल कुम्हार निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1–कस्तुर पिता नानुराम कुम्हार निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–मांगु पिता नानुराम कुम्हार निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–केसर पुत्री नानुराम कुम्हार निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–मांगीदेवी पत्नी नानुराम कुम्हार निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–नानुराम पिता कजोड़ कुम्हार निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 रा0 टि0 एक्ट

1 उपस्थित –फारूख मोहम्मद अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

दिनांक 03.03.2020

उक्त प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मोखमपुरा पटवार हल्का थला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज कजोड़ पिता नंगजी कुम्हार के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 47, 49, 50, 51, 52, 80 कुल किता 6 कुल रकबा 2.17 है0 भूमि खाता संख्या 43 पर दर्ज रेकार्ड थी। इसी प्रकार सामलाती आराजी चाह संख्या 76 रकबा 0.02 है0, खाता संख्या 42 पर दर्ज थी। तथा सामलाती आराजी संख्या 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571 कुल किता 11 कुल रकबा 1.92 है0 खाता संख्या 41 पर दर्ज रेकार्ड थी। तथा आराजी संख्या 53, 68, कुल किता 2 कुल रकबा 0.81 है0, खाता संख्या 40 पर दर्ज थी। तथा आराजी संख्या 54, 72, 111 कुल किता 3 कुल रकबा 0.38 है0 खाता संख्या 47 पर दर्ज रेकार्ड थी। प्रमाण में नकल जमाबन्दी पेश की । वादीगण एवं प्रतिवादीगण के परिवार का सजरा वाद पत्र में अंकित हैं। सजरे में अंकित कजोड़ पिता नंगजीराम कुम्हार ने अपने जीवन काल में हिन्दु धर्म के अनुसार जाति समाज के मौतबिरान की उपस्थिति में वादीगण के पिता रामलाल को गोदपुत्र की हैसियत से गोद रखा तथा मौतबिरान ने चौपनिये में लिखावट की तथा रामलाल को रस्म अदाकर गोद रखा। रामलाल ने ही उनके जीवन काल में उनकी सेवा की तथा मरणोपरान्त क्रिया कर्म किये। तथा उनकी समस्त चल अचल पर बैहसीयत वारिस काबिज हुआ। तत्पश्चात् वादीगण के पिता रामलाल की भी मृत्यु हो गई। रामलाल जी का राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं किया गया। जबकि उनकी भूमियों पर रामलाल ही काबिज था तथा वर्तमान में वादीगण काबिज होकर काश्त लाभ ले रहे हैं। प्रतिवादीगण एक लगायत चार वर्तमान में मौजुद हैं जिन्हें कई मर्तबा वादीगण ने मृतक कजोड़ के नाम दर्ज भूमियां अपने नाम दर्ज कराने हेतु कहा लेकिन हर बार टालम टोल का जवाब दिया वादीगण मृतक कजोड़ के नाम दर्ज भूमियों पर वर्षों से काबिज होकर काश्त कर रहें हैं। केवल मात्र राजस्व रेकार्ड में भूमियां मृतक कजोड़ के नाम ही चली आ रही हैं। जिससे

मुकदमा नम्बरः– 83/2016 (2016/00194) वाद पत्र

वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है। वादीगण का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद पत्र की कलम नम्बर 1 में अंकित आराजियात वादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाई जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें। इसी अनुरूप डिक्री जारी फरमाई जावें।

वादीगणो द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये समन तलब किया जाने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 बाजवुद सूचना के अनुपस्थित रहे। जिससे उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 6 औपचारिक पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं हैं।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया । वादीगण के अधिकवक्ता की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि राजस्व रेकार्ड में कजोड़ पिता नंगजी कुम्हार सा. देह के नाम दर्ज रेकार्ड होने से संबधित राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 प्रस्तुत की गई हैं। एवं वादीगण के दस्तावेज साक्ष्य के रूप में अनरजिस्टर्ड गोद नामा की प्रति, राशनकार्ड, बैंक खाता पासबुक मतदाता सूची, आधारकार्ड प्रस्तुत की है जो शामिल पत्रावली है। उपरोक्त दस्तावेजो में वादीगणों के पिता रामलाल के पिता का नाम कजोड़ दर्ज हैं। तथा अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य के रूप में पटवारी हल्का थला द्वारा मजमे आम में बनाया गया पर्चा मौका दिनांक 05.07. 2016 तथा 06.06.2017 भी प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार बताया कि कजोड़ पिता नंगजी कुम्हार मृत्यु हो चुकी है। तथा उसके कोई जाईन्दा पुत्र या पुत्री नहीं होने से अपने भाई के पुत्र रामलाल को कजोड़ ने अपने जीवन काल में ही सामाजिक रस्म रिवाज अनुसार सामाजिक बंन्धुओं के सामने गोद लिया। तथा रामलाल ने ही उसकी सेवा चाकरी की तथा उसकी मृत्यु उपरान्त सामाजिक क्रिया कर्म भी रामलाल द्वारा किया गया। और वर्तमान में कजोड़ के हिस्से की कृषि भूमि एवं आवासीय मकान पर कब्जा भी रामलाल के वारिसान का हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उक्त प्रकरण में वादीगण का वाद स्वीकार कर इस प्रकार की डिकी जारी की जाती है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विवादित भूमि जो वर्तमान में ग्राम मोखमपुरा पटवार हल्का थला की जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 में अंकित आराजी संख्या 47, 49, 50, 51, 52, 80 कुल किता 6 कुल रकबा 2.17 है0 भूमि खाता संख्या 43 पर दर्ज रेकार्ड है। इसी प्रकार सामलाती आराजी चाह संख्या 76 रकबा 0.02 है0, खाता संख्या 42 पर दर्ज है। तथा सामलाती आराजी संख्या 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571 कुल किता 11 कुल रकबा 1.92 है0 खाता संख्या 41 पर दर्ज रेकार्ड हैं। तथा आराजी संख्या 53, 68, कुल किता 2 कुल रकबा 0.81 है0, खाता संख्या 40 पर दर्ज हैं। तथा आराजी संख्या 54, 72, 111 कुल किता 3 कुल रकबा 0. 38 है0 खाता संख्या 47 पर दर्ज रेकार्ड हे। उक्त भूमि में खातेदार कजोड़ पिता नंगजी कुम्हार के बजाय कालु पिता रामलाल, प्यारचन्द श्रवण पिता रामलाल ना.बा.व.वि. माता चन्दादेवी, पानी, सुशीला, संतोकी पिता रामलाल चन्दादेवी पत्नी रामलाल कुम्हार सा.देह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें इसी अनुसार अन्तिम डिकी जारी हो। पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को लिखा जावें।

यह आज दिनांक 03.03.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर से जारी की गई ।

3.3.2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 83/2016 (2016/00194) वाद पत्र

अनवान

1–कालु पिता रामलाल कुम्हार निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–प्यारचन्द पिता रामलाल कुम्हार ना.बा.व.वि. माता चन्दादेवी निवासी मोखमपुरा
3–श्रवण पिता रामलाल कुम्हार ना.बा.व.वि. माता चन्दादेवी निवासी मोखमपुरा
4–पानी पुत्री रामलाल कुम्हार निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–सुशीला पुत्री रामलाल कुम्हार निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6–संतोकी पुत्री रामलाल कुम्हार निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7–चन्दादेवी पत्नी रामलाल कुम्हार निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1–कस्तुर पिता नानुराम कुम्हार निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–मांगु पिता नानुराम कुम्हार निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–केसर पुत्री नानुराम कुम्हार निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–मांगीदेवी पत्नी नानुराम कुम्हार निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–नानुराम पिता कजोड़ कुम्हार निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, रा0 टि0 एक्ट

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगणों का वाद स्वीकार कर इस प्रकार की डिक्री जारी की जाती है कि वादीगणों एवं प्रतिवादीगणों के मध्य विवादित भूमि जो वर्तमान में ग्राम मोखमपुरा पटवार हल्का थला की जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 में अंकित आराजी संख्या 47, 49, 50, 51, 52, 80 कुल किता 6 कुल रकबा 2.17 है0 भूमि खाता संख्या 43 पर दर्ज रेकार्ड है। इसी प्रकार सामलाती आराजी चाह संख्या 76 रकबा 0.02 है0, खाता संख्या 42 पर दर्ज है। तथा सामलाती आराजी संख्या 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571 कुल किता 11 कुल रकबा 1.92 है0 खाता संख्या 41 पर दर्ज रेकार्ड हैं। तथा आराजी संख्या 53, 68, कुल किता 2 कुल रकबा 0.81 है0, खाता संख्या 40 पर दर्ज हैं। तथा आराजी संख्या 54, 72, 111 कुल किता 3 कुल रकबा 0.38 है0 खाता संख्या 47 पर दर्ज रेकार्ड हे। उक्त भूमि में खातेदार कजोड़ पिता नंगजी कुम्हार के बजाय कालु पिता रामलाल, प्यारचन्द श्रवण पिता रामलाल ना.बा.व.वि. माता चन्दादेवी, पानी, सुशीला, संतोकी पिता रामलाल चन्दादेवी पत्नी रामलाल कुम्हार सा. देह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.03.12 15:15:39 IST
Reason: SelfAttested
Location: